न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
पीठासीन अधिकारी सुश्री अंशुल आमेरिया (आर.ए.एस)

.प्रकरण संख्या 01/2022

उनवान

1. श्री चान्दसिंह पुत्र श्री देबी सिंह राजपुत निवासी हमीरगढ तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।

—प्रार्थी

बनाम

1. श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री देवी सिंह सिसोदिया निवासी—सैन मौहल्ला हमीरगढ तह हमीरगढ।
2. नारायण माली पुत्र श्री जगन्नाथ माली निवासी—हमीरगढ तह हमीरगढ।
3. रामेश्वर माली पुत्र श्री जगन्नाथ माली निवासी हमीरगढ तह हमीरगढ।
4. जमना लाल माली श्री जगन्नाथ माली निवासी हमीरगढ तह हमीरगढ।
5. श्रीमती प्रेम देवी पत्नी श्री जगदीश चन्द्र मण्डोवरा निवासी हमीरगढ तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 29.03.2022

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भूँ—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 31.12.2021 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि **ग्राम हमीरगढ पटवार हल्का हमीरगढ प्रथम भू.अ.नि. हमीरगढ तह हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की खाता संख्या 1898 की कृषि भूमि की आराजी नम्बर 4649/1223 रकबा 0.2592 है0 कुल किता 01 रकबा 0.2592 है0।** वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 10.08.2021 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित । विपक्षी संख्या 01 से 05 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है। प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

—::आदेश::—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जातेहैकि **ग्राम हमीरगढ पटवार हल्का हमीरगढ प्रथम भू.अ.नि. हमीरगढ तह हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की खाता संख्या 1898 की कृषि भूमि की आराजी नम्बर 4649/1223 रकबा 0.2592 है0 कुल किता 01 रकबा 0.2592 है0** की पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 300/—रू0 पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/—रू0 की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निधारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 29.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।

(अंशुल आमेरिया)
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aame
Date: 2022.10.11 16:58:13 IST
Reason: SelfAttested